राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर मोड़, जयपुर–302015
टेलीफोन नं. 0141–2706830,2706032, फेक्स नम्बर :– 0141–2707679, ई–मेलः–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक :– प–( )रा.मु./2019–20/11348 दिनांक : 27/01/2020

सहायक राज्य संगठन आयुक्त
मण्डल मुख्यालय,
समस्त।

विषय :– राज्य स्तरीय रेंजर लीडर बेसिक कोर्स के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर के वार्षिक कार्यक्रमानुसार रेंजर लीडर बेसिक कोर्स का आयोजन दिनांक 25 फरवरी से 02 मार्च, 2020 तक राज्य प्रशिक्षण केन्द्र जगतपुरा, जयपुर पर किया जा रहा है। जिसकी विस्तृत सूचनाएँ निम्नानुसार हैं –

क्र. सं.	शिविर का नाम	राज्य स्तरीय रेंजर लीडर बेसिक कोर्स
1	स्थान	स्काउट/गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर सम्पर्क सूत्र–मो. 9784412094 (श्री गणेश गुर्जर, सी.ओ. स्काउट,जगतपुरा, जयपुर) मो. 8003097156 (श्री बन्ना लाल, रा.प्रशि .आयुक्त, जगतपुरा, जयपुर)
2	तिथियाँ	25 फरवरी से 02 मार्च, 2020 तक। प्रथम दिवस प्रातः 10:00 बजे तक, अन्तिम दिवस दोपहर बाद।
3	योग्यता	1. छात्राओं के साथ रूचिपूर्ण कार्य करने में सक्रिय हो। 2. पूर्ण स्वस्थ हों तथा शिविर का श्रम वहन करने की क्षमता रखते हों।
4	शुल्क	1. विकास शुल्क – 200 2. पंजीकरण शुल्क – 80 कुल योग – 280
5	पंजीकरण	प्रत्येक संभागी को निर्धारित शुल्क शिविर में जमा करवाना होगा। जो संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा देय होगा। शिविर में सम्मिलित होने की सूचना दिनांक–15/02/2020 तक मण्डल मुख्यालय के माध्यम से राज्य मुख्यालय, जयपुर को भिजवायें।
6	आवश्यक पौशाक	पौशाक–ए.पी.आर.ओ. भाग–3 के अनुसार नीली साड़ी बिना बॉर्डर वाली, काला पेटीकोट, सफेद ब्लाउज साड़ी को कमर से 4 इंच तक ढ़कता हुआ साइड से 4 इंच चाक खुला हुआ, आस्तीन कोहनी से 1.5 इंच बाहर की ओर मुड़ी हुई हो। सामने दो ढक्कनदार जेंब, शोल्डर स्ट्रेप, टेनिस कालर काले जूते, कैमल कलर के मोजे, ब्राउन नाइलोन का गाइड बेल्ट, काला पर्स, स्कार्फ, वोगल आदि।
7	सामग्री	आवश्यकतानुसार एवं मौसम के अनुकूल बिस्तर, बदलने के कपड़ें, स्कैच पेन, स्वयं के खाना खाने एवं चाय पीन के बर्तन, पानी की बोतल, टॉर्च, रस्सी, कार्डशीट, स्कैच पैन एवं दैनिक उपयोगी सामग्री, नोटबुक, पेन–पेंसिल, स्केल आदि।
8	यात्रा व्यय	वास्तविक यात्रा व्यय बस/रेल का मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा। 300 कि.मी. के लिए रेलवे कन्सेशन का उपयोग किया जाना उपयुक्त होगा। रेल किराया द्वितीय श्रेणी का देय होगा। कृपया टिकिट आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें। वॉल्वो बस एवं ए.सी. टिकिट मान्य नहीं होगा।

9	भोजन व्यवस्था	भोजन व्यवस्था शिविर द्वारा की जायेगी।
10	विशेष	1. शिविरावधि में शिविर केन्द्र छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। 2. शिविर में किसी भी अन्य सदस्य को साथ नहीं लावें। 3. सांस्कृतिक कार्यक्रम से सम्बन्धित वेशभूषा साथ लेकर लावें।
11	सहभागिता	प्रति जिलें से एक संभागी का संभागित्व अनिवार्य है। सी.ओ. गाइड अपने जिला क्षेत्र से 02 संभागी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से करावें। इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए समय से पूर्व राजकीय एवं निजी महाविद्यालय से सम्पर्क अवश्य करें ताकि रेंजर यूनिट प्रारम्भ हो सकें।

27/01/2020

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)

क्रमांक :– प–( )रा.मु. / 2019–20 / 11349–57 दिनांक : 27/01/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा,आयुक्तालय, शिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा ....
4. प्राचार्य / संस्था प्रधान ....
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त, मण्डल मुख्यालय, समस्त।
6. लेखाशाखा, राज्य मुख्यालय।
7. सर्कल ऑर्गेनाइजर (स्काउट / गाइड) समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिलें का सम्भागित्व सुनिश्चित करें।
8. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करें।

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)